आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	2.	3.

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका।

अधिहरण वाद सं0–14/2022–23

सरकार द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, दुमका.....आवेदक

बनाम

अरूण मंडल.....विपक्षी।

आदेश

28.03.2023

यह अधिहरण वाद जिला खनन पदाधिकारी, दुमका द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। दाखिल आवेदन के साथ थाना प्रभारी, रामगढ़ द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, दुमका को ज्ञापांक–176/2023 दिनांक–13.02.2023 के द्वारा भेजे गये पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–13.02.2023 को रात्री गस्ती के दौरान ग्राम–पिण्डारी के समीप Tata Pickup वाहन रजिस्ट्रेशन नं0–JH04E-3145 को लगभग 35 टन कोयला लोड कर परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वाहन का चालक गस्ती दल को देखते हुए भाग गया। काफी देर तक प्रतीक्षा करने पर चालक व मालिक उपस्थित नहीं हुए एवं न ही किसी व्यक्ति ने उक्त वाहन पर लोड कोयला से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत किये। फलस्वरूप उक्त Tata Pickup वाहन को कोयला सहित जप्त कर रामगढ़ थाना में रखा गया। इस संबंध में रामगढ़ थाना काण्ड सं0–16/23 दिनांक–13.02.2023 दर्ज किया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, दुमका द्वारा उपरोक्त वाहन एवं खनिज को Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transporation and storage) Rules 2017 के नियम 11(V) के तहत् अधिहरण की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी को दिनांक–03.03.2023 को अखबार के माध्यम से प्रकाशित नोटिस के साथ–साथ कारण–पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया। अखबार के नोटिस के अतिरिक्त इस न्यायालय के पत्रांक–336, दिनांक–21.03.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, रामगढ़ के माध्यम से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया है, तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने अपने पत्रांक–296/रा0 दिनांक–25.03.2023 के द्वारा नोटिस को तामिला कर तामिला प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। उक्त नोटिस का उद्देश्य नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए पूर्व न्याय सुनिश्चित करना था। नोटिस तामिला के पश्चात् भी विपक्षी न तो स्वयं अथवा न तो अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट है कि उक्त नोटिस के संबंध में विपक्षी के पास बचाव हेतु कोई तथ्य/साक्ष्य नहीं है अथवा विपक्षी द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा ससमय एवं बार–बार अवसर प्रदान करने के बाद भी अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है।

Mines and Minerals (Regulation and Development) Act (1957) के **धारा 4(1)A** –There are provisions in the MMDR Act, authorising the Government to appoint other categories of officers also to make seizure and to initiate prosecution. It is found that this is only in addition to the general powers given to the police under the code of Criminal Procedure. However, as regards cognizance of offences, there is a specific provision under Section 22, and once cognizance otherwise than on complaint as prescribed under the law is barred, such cognizance under the Code of Criminal Procedure may not be possible.

अनुसूची14 फारम सं. 562

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के

धारा–21(1)– Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (1A) of section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine which may extend to five lakh rupees per hectare of the area.

धारा–(4) – Whenever any person raises, transports or causes to be raised or transported, without any lawful authority, any mineral from any land, and, for that purpose, uses any tool, equipment, vehicle or any other thing, such mineral, tool ,equipment, vehicle or any other thing shall be liable to be seized by an officer or authority specially empowered in this behalf.

धारा–4(A) –Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such court.

धारा–22 –No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made there under except upon complaint in writing made by a person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government.

A. वर्णित तथ्यों तथा संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि संबंधित वाहन का प्रयोग कोयला के अवैध खनन के पश्चात् परिवहन के लिये हो रहा था।

अतः MMDR के धारा–4 1(A), धारा–21 तथा Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transporation and storage) Rules 2017 के नियम 11(V) के तहत् जप्त Tata Pickup वाहन रजिस्ट्रेशन नं0–JH04E-3145 को लगभग 35 टन कोयला को अधिहरण किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि जप्त Tata Pickup वाहन रजिस्ट्रेशन नं0–JH04E-3145 को लगभग 35 टन कोयला लोड को नियमानुसार कुर्क/नीलाम कर बिक्री के पश्चात् प्राप्त राशि को उचित शीर्ष पर जिला कोषागार, दुमका में जमा कर अग्रतेर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

02/06/23

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.07.28 17:41:26 +05:30
Location: 169.254.227.244